न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 07 / 2017

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– 1 ओम प्रकाश साहु पिता रामचन्द्र साहु।
2 शिवशंकर साहु पिता देवीदयाल साहु।

बनाम

द्वितीय पक्ष– 1 धनुकधारी साहु, छोटका साहु, महेश साहु सभी पिता स्व0 सभन साहु।
2 चन्द्र मोहन साहु, मनमोहन साहु, दोनो पिता बिरसा साहु।
3 मधुसुदन साहु, कोड़ी साहु दोनो पिता छोटका साहु।
4 सुधीर साहु पिता धनुधारी साहु।

इस वाद की कार्यवाही प्रथम पक्षकार के पिता द्वारा आवेदन देने के कारण, जिसमें यह प्रतिवेदीत है कि द्वितीय पक्ष के लोग आकर उनकी जमीन जबरदस्ती जोत रहे है। इसके साथ 1960 का बंटवारा का भी छायाप्रति संलग्न करते है। जांचोपरान्त पाया गया कि 06.11.1960 को ग्रामीण पंचायतों के अन्तर्गत भागीडेरा में सूचित निम्नलिखित जमीन प्रथम पक्ष के पूर्वजों को मिला है :–

खाता न0	प्लॉट न0	रकबा (एकड़ में)
92	337	1.37
	338	2.05
	126	1.09
	127	0.91
	137	2.02
71	474	0.08
	475	0.12
21	205	0.28
	207	1.98
	217	0.25
	204	0.14

इस प्रकार द्वितीय पक्ष को बंटवारा में निम्नलिखित जमीन मिला है:–

खाता न0	प्लॉट न0	रकबा (एकड़ में)
70	353	0.89
	354	1.77
	355	0.05
	493	1.15
	498	0.79
71	106	1.91

उक्त बंटवारा में दोनों पक्षों के पूर्वजो का एवं ग्रामीणों का हस्ताक्षर है तब से दोनों पक्ष बंटवारा के अनुसार उसी समय से अपने अपने जमीन पर काबिज है। ईधर प्रथम पक्ष के हिस्से का पलॉट 127,205,207,217 एवं 204 पर जबरदस्ती जोत दिया इसके उपरान्त प्रथम पक्ष भी द्वितीय पक्ष के हिस्से का प्लॉट 354 एवं 106 पर खेती करने की योजना बना रहा है इससे दोनो पक्षों में तनाव है।

अतः इनके प्रतिवेदन से संतुष्त होकर भागीडेरा

खाता न0	प्लॉट न0	रकबा (एकड़ में)
92	126	0.91
21	205	0.28
	207	1.98
	217	0.25
	204	0.14
	354	1.77
	493	1.15
71	106	1.91

भूमि पर दण्ड प्रकिया संहिता धारा–144 अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उभय पक्षों को उक्त विवादित भू–खंडों पर प्रवेश से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया ।

उक्त प्रतिवेदन से संतुष्त होकर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया एवं कारण पृच्छा की गयी। उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब अधिवक्ता के माध्यम से साक्ष्य सहित प्रस्तुत करते है।

प्रथम पक्ष उपस्थित होकर बतलाते हे कि दोनों पक्षों के पुर्वजों के बीच बसिया प्रखंड के तीन पंचायतों के सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष अपने इच्छा के अनुसार मनोनीत पंचों के समक्ष दिनांक 06.11.1960 को बंटवारा आम पंचों एवं ग्रामीणों तथा दोनों पक्षों के पुर्वजों के सहमति से हुआ जिसपर सहमति से इनका हस्ताक्षर अंकित है। पर दोनों पक्षों के पुर्वज अपने अपने हिस्से की जमीन पर शांतिपूर्ण रूप से दखलकार हुए एवं खेती–बारी करने लगे। दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी अदा करने लगे प्रथम पक्ष के पिता अपने हिस्से की जमीन में से दो एकड जमीन प्रेमावती देवी, पति देवी दयाल साव को बखसीसनामा रजिस्ट्री पट्टा 0053 दिनांक 28.05.1999 से बकसीस रजिस्ट्री किया जिसके पृष्ट सं0 5 पर विपक्षी के पिता समन साव ने भी हस्ताक्षर किया। प्रथम पक्ष के पिता खुदी साहु ने दिनांक 12.12.1988 को पट्टा संख्या 2487 से अपने पुत्र देवी दयाल साव को बकसीस किये है तथा उक्त बकसीसनामा पट्टा के हासिया के पेज 2 में विपक्षी के पिता समन साव ने हस्ताक्षर किया। दोनों बकसीस रजिस्ट्री पट्टा के अधार पर प्रेमवती देवी तथा दीनदयाल साव शांतिपूर्वक दखलकार है तथा दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी अदा करके रसीद हासिल करते आ रहे है। दूसरे पक्ष के पुर्वज बंटवारे के अनुसार प्राप्त अपनी भूमि की बिक्री रजिस्ट्री पट्टा 1951 दिनांक 29.08.2013 को ठुपा नायक को बिक्री किया। यह बिक्री खाता सं0 70 प्लॉट सं0 493 रकबा 0.22 एकड़ है। द्वितीय पक्ष के पुर्वज समन साव ने इस प्रकार दो बिक्री पट्टा से जमीन बेचे तथा दोनों केता इस खरीदकर जमीन की दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी दे रहे है। इसी प्रकार प्रथम पक्ष के पुर्वज खुदी साव ने दो बिक्री पट्टा से पारसनाथ नाग को अपने हिस्से की जमीन बिक्री की जिसपर वे दखलकार है। इस बिक्री पट्टे पर द्वितीय पक्ष समन साव तथा बिरसा साव के पुत्र चन्द्रमोहन साव का हस्ताक्षर है। दोनों पक्षों के बकसीस पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि 06.11.1960 को पंचों द्वारा कुल जमीन जायदाद का बंटवारा से प्राप्त कर पूर्वजों के देहान्त के बाद प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी पुत्र एवं पोते अपने पूर्वजों के हिस्से की जमीन पर हैसियत से शांतिपूर्वक दखलकार चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष द्वारा दखल कब्जा को बाधित करने की सम्भावना को देखते हुए इन्होंने शांति भंग न हो, अतः थाना में आवेदन दिया था, परंतु जांच अधिकारी ने प्रथम पक्ष की सभी जमीनों पर गलत एवं भ्रमक प्रतिवेदन देकर द्वितीय पक्ष को मदद किया है।

द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा का लिखित जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि यह वाद प्रथम पक्ष क ओर से लाया गया है जिसपर रकबा एवं चौहदी अंकित नहीं है। उपरोक्त दोनों पक्षों के पुर्वज सम्मिलात ए सुविधानुसार खेती करते आ रहे है। लेकिन प्रथम पक्ष जोर जबरदस्ती से द्वितीय पक्ष के हिस्से के जमीन पर खेत कर रहे है। विवादित भूमी इनकी सम्मिलात भूमि है और प्रथम पक्ष के लोग गलत रूप से अपना अधिकार और दा प्रस्तुत कर रहे है। पुर्वजों के बीच बंटवारा मापी के अनुसार नहीं हुआ है। खाता सं0 21 एवं 92 की जमीन मालावत देवी पिता स्व0 मेघु तेली के हिस्से एवं दखल की खतियानी जमीन है। इसपर दोनों पक्षों का हक एवं हिस्सा है परं प्रथम पक्ष के ओमप्रकाश साहु मरनोपरांत फर्जी तरीके से गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उक्त खाते की कुल जमीन 75 ए0 अपने नाम से लिखवा लिया जो कि गैर कानूनी है। इसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न करते है नियमतः कोई भी जमीन हस्तान्तरण रजिस्ट्री पट्टा से होता है न कि एग्रीमेंट से। इस बसियतनामा पट्टा को को कानुनी वैधता नहीं है। दोनों पक्षों की वंशावली प्रस्तुत की गयी है जिसे स्पष्ट है कि दोनो खतियानी रैयत के वंश है:–

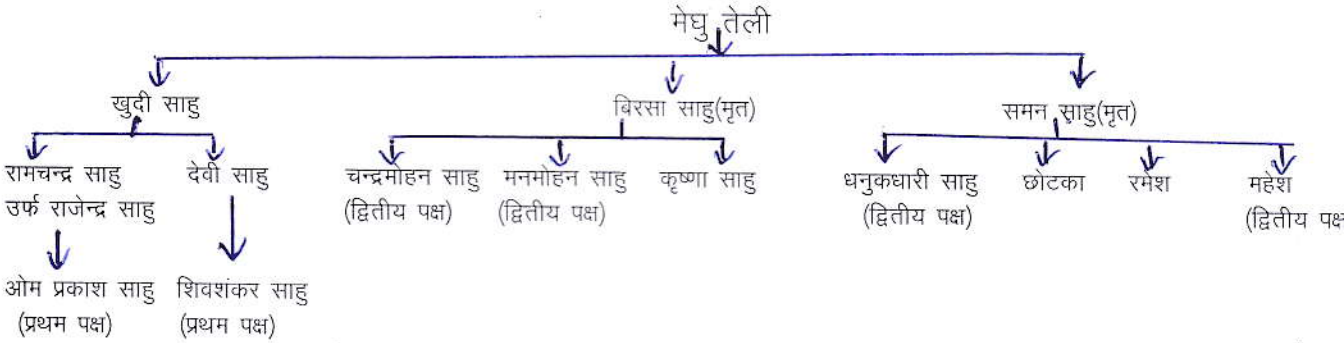

प्रथम पक्ष अपने जवाब में केवल खाता न0 92 एवं खाता न0 21 प्लॉट पर 144 द0 प्र0 स0 की मांग की है परन्तु वंशावली से स्पष्ट है कि उपरोक्त खाते की जमीन सम्मिलात है।

अंचल अधिकारी, बसिया का भी प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार जमाबंदी एवं कब्जा की स्थिति निम्नव है।

थाना सं	खाता	प्लॉट	रकबा	पंजी ii जमाबंदी	कब्जा
	70	353	0.89	खुदी साव	भूमि पर हुन्डरा साहु उर्फ
		354	1.77	वो बिरसा साव	धनुसधारी साहु वगै0 पित
		355	0.05	वो सुमन साव	समन साव का कब्जा है।
		493	1.15	पिता मेघु साव	(द्वितीय पक्ष)
		498	0.79		
		106	1.91		
	71	474	0.08	प्रेमावती देवी	प्रथम पक्ष का घर
		475	0.12	W/O देवीदयाल साहु	प्रथम पक्ष का कब्जा
	92	337	1.37	खुदी साव पिता	भूमि पर रामचन्द्र साहु
		338	2.05	मेघु साव के नाम	उर्फ राजेन्द्र साहु वो
		126	0.91	पर है।	दीनदयाल साहु का
		127	0.91		कब्जा है।
		137	2.02		

इस खाता के प्लॉट 126 रकबा 1.09 ए0 एवं प्लॉट 137 रकबा 0.66 ए0 कुल 1.75 एकड़ पर प्रेमावती देवी पति– देवीदयाल साहु के नाम पर जमाबंदी कायम है।

थाना न0	खाता सं0	प्लॉट	रकबा	पंजी ii जमाबंदी	कब्जा
	21	208	0.28	रामचन्द्र साहु उर्फ	प्रथम पक्ष
		207	1.98	राजेन्द्र साहु वो	विवाद
		217	0.25	देवीदयाल साहु	प्रथम पक्ष
		204	0.14	पिता खुदी साव	प्रथम पक्ष

सभी खाता के प्लॉट के पंजी ii रैयत एवं दखल के विषय संलग्न लगान रसीद का जांच व उभय पक्षों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि उभय पक्षों के बीच विवाद का बिन्दु खाता सं 92 प्लॉट 127 रकबा 0.90 एकड़ एवं खाता सं0 21 प्लॉट 207 रकबा 1.98 है। जिसे कि प्रेमावती देवी ने प्रथम पक्ष के वसीयतनामा पट्टा द्वारा दिया गया है। परंतु समस्त जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि की जमाबंदी प्रथम पक्षकार के वंशज के नाम पर है। प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी कायम है। द्वितीय पक्ष का इस पर किसी प्रकार का हक नहीं है। उक्त स्थिति में प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष के हित में स्थिर किया जाता है।

05/09/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

बसिया।

05/09/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

बसिया।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.12.26 12:32:49 +05:30
Location: 192.168.1.37